

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई में टिप्पणी तारीख के साथ
19.10.15	<p>न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा अपराध नियंत्रण वाद सं० 105/2015 सरकार मार्फत पुलिस अधीक्षक, सारण बनाम धनंजय सिंह, थाना-मोँझी आदेश</p> <p>पुलिस अधीक्षक, सारण, छपरा के पत्रांक 5614/चुनाव/गो०, दिनांक 11.10.2015 के द्वारा सक्रिय असामाजिक तत्व धनंजय सिंह, पिता -रामजीत सिंह सा०-नचाप थाना-मोँझी, जिला-सारण के विरुद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-3 के अंतर्गत कार्रवाई करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। प्राप्त प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रस्ताव अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर के ज्ञापांक 3291, दिनांक 30.09.15 पर आधारित है, जिसमें मुख्य रूप से निम्नांकित कांडों को आधार बनाया गया है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. भगवान बाजार थाना कांड संख्या-114/2014, दिनांक 14.04.2014 धारा-396/412 भा०द०वि। 2. भगवान बाजार थाना कांड संख्या 132/07, दिनांक 07.07.07 धारा 397 भा०द०वि एवं आरोप पत्र संख्या 137/08, दिनांक 31.05.08 3. एकमा थाना कांड संख्या 28/07, दिनांक 07.03.2007, धारा 25(1-बी)ए०/26/35 आर्म्स एक्ट, आरोप पत्र संख्या 71/07, दिनांक 11.07.2007 4. रसुलपुर थाना कांड संख्या 07/07, दिनांक 07.09.2007 धारा 147/148/149/448/ 353/427/171(एफ) भा०द०वि एवं 27 आर्म्स एक्ट, आरोप पत्र संख्या 08/08, दिनांक 08.01.08 <p>इसके अतिरिक्त, आसन्न बिहार विधान सभा चुनाव 2015 के मद्देनजर आपके द्वारा अपने क्षेत्र में आम जनता में भय का वातावरण पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आपके विरुद्ध इस संबंध में सनहा संख्या 71/15 दर्ज किया गया है।</p> <p>उक्त प्रस्ताव के आलोक में इस न्यायालय के ज्ञापांक 870, दिनांक 12.10.2015 के द्वारा विपक्षी से कारण पृच्छा किया गया, एवं दिनांक 19.10.2015 को सुनवाई हेतु उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। नोटिस का</p>	



19.10.2015 को सुनवाई हेतु उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है, जिसे विपक्षी के द्वारा दिनांक 16.10.2015 को प्राप्त किया गया है। पुलिस अधीक्षक, सारण छपरा के ज्ञापांक आर0 3562, दिनांक 14.10.2015 के द्वारा तामिला प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है। सुनवाई की तिथि 19.10.2015 को विपक्षी स्वयं या अपने विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए और न ही अपना कोई लिखित जबाब ही दाखिल किया गया।

विद्वान अपर लोक अभियोजक, सारण, छपरा के द्वारा बताया गया कि नोटिस का तामिला होने के बाद भी विपक्षी के उपस्थित नहीं होने का स्पष्ट अर्थ है कि विपक्षी एक आदतन अपराधी है एवं कानून के द्वारा स्थापित मानदंडों के अनुपालन में विश्वास नहीं करता है। इसे अपने पक्ष में कुछ भी नहीं कहना है। अतः आसन्न बिहार विधान सभा चुनाव 2015 के मद्दे नजर शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव के संचालन के लिए विपक्षी के विरुद्ध धारा 3 के अंतर्गत कार्रवाई अपेक्षित है।

विद्वान अपर लोक अभियोजक, सारण छपरा को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिशीलनोपरांत मैं पाता हूँ एवं मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ कि नोटिस का तामिला होने के बाद भी विपक्षी धनंजय सिंह, पिता -रामजीत सिंह सा0-नचाप थाना-मॉड़ी, जिला-सारण के उपस्थित नहीं होने का स्पष्ट अर्थ है कि विपक्षी एक आदतन अपराधी है एवं कानून के द्वारा स्थापित मानदंडों के अनुपालन में विश्वास नहीं करता है। इसे अपने पक्ष में कुछ भी नहीं कहना है। अतः आसन्न बिहार विधान सभा चुनाव 2015 के मद्दे नजर शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव के संचालन के लिए विपक्षी के विरुद्ध धारा 3 के अंतर्गत कार्रवाई अपेक्षित है। अतः मैं बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश देता हूँ कि इस आदेश की तामिला की तिथि से 12.11.2015 तक विपक्षी को जिला बदर किया जाता है। विपक्षी को निर्देश है कि वे आदेश की प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर जिला विधि शाखा, सारण, छपरा में इस आशय का शपथ पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें कि जिला बदर की अवधि के दौरान वे किस जिला के किस थाना के अंतर्गत निवास करेंगे, ताकि संबंधित जिला दंडाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक से विपक्षी के निकटवर्ती थाना में प्रतिदिन दो बार 9 बजे प्रातः एवं सायं 5.00 बजे अपनी हाजिरी अंकित करने संबंधी साप्ताहिक प्रतिवेदन प्राप्त किया जा सके।

विपक्षी को निर्देश है कि वे अविलंब विभाग के द्वारा प्रावधानित प्रपत्र में रुपये 20,000 (बीस हजार) मात्र का इस आशय से संबंधित बंधपत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे कि आगामी विधान सभा चुनाव 2015 में उनके द्वारा किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं की जाएगी। आदेश एवं बंधपत्र की शर्तों की अवहेलना की स्थिति में विपक्षी के विरुद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

इस जिले में मतदान दिनांक 28.10.2015 को निर्धारित है। विपक्षी को निर्देश है कि मतदान की तिथि को सर्वप्रथम मॉड़ी थाना पर प्रातः 7:00 बजे अपनी हाजिरी अंकित करेंगे तथा संध्या 6:00 बजे तक थाना पर ही मौजूद रहेंगे। थानाध्यक्ष मॉड़ी को निर्देश है कि वे अपनी देख-रेख में विपक्षी को उनसे संबंधित बूथ पर ले जाकर मतदान करवाना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त आदेश की अवधि दिनांक 12.11.2015 को संध्या 6:00 बजे तक रहेगी। इसके पश्चात् यह स्वतः विलोपित समझा जाएगा।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा

जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा।

ज्ञापांक.....932...../न्या0, दिनांक.....19.10.2015.....

प्रतिलिपि:-पुलिस अधीक्षक, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
अनुरोध है कि संलग्न आदेश का तामिला संबंधित व्यक्ति को तथा संबंधित पदाधिकारियों को कराते हुए तामिला प्रतिवेदन यथाशीघ्र भेजने का कष्ट किया जाए।

प्रतिलिपि:-थानाध्यक्ष, मौंझी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-धनंजय सिंह, पिता -रामजीत सिंह सा0-नचाप थाना-मौंझी,
जिला-सारण, को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

वरीय उप समाह्वयक
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।